राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर (दूरभाष–0141–2705638)

क्रमांकःF(ISSNIP)(04)/Procu/ICDS/2014/ 65835-853 जयपुर,दिनांक 23-04-2018

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
अजमेर, अलवर, बांरा, बाडमेर, चुरू, चित्तौडगढ, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर,
जोधपुर, झुन्झुनूं, कोटा, करौली, स.माधोपुर, सिरोही, राजसमन्द, टोंक, उदयपुर।

विषयः–ISSNIP परियोजना अन्तर्गत लगाये गये संविदा कार्मिकों की सेवाओं के अधिकाधिक उपयोग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्व बैंक पोषित ISSNIP/NNM परियोजना की गतिविधियो के समयबद्व एवं गुणवत्तापूवर्क संचालन हेतु राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संविदा कार्मिक M/s T&M Consulting Services Private Limited, Mumbai द्वारा उपलब्ध कराये गयेहै, परन्तु फिल्ड विजिट के समय पाया कि ISSNIP परियोजना अन्तर्गतउपलब्ध कराए गये संविदा कार्मिकों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस हेतु सभी सम्बन्धित उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि :–

1. सभी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर चयनित संविदा कार्मिकों की सेवाओंका उपयोग उनकी ToR के अनुसार ही किया जायें। ISSNIP/NNM कार्यो के अतिरिक्त उनकी सेवायें अन्य किसी विभाग के कार्यों में नहीं ली जावें। अति आवश्यक स्थिति में ही ISSNIP के अतिरिक्त, ICDS विभाग के कार्यो के संपादन में ही उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

2. सभी उप–निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी ISSNIP/NNM के कार्यो के संपादन में जिला एवं ब्लॉक स्तर के संविदा कार्मिकों का उपयोग सुनिश्चित करे तथा उन्हें ISSNIP/NNM के कार्यों के संपादन में पूर्ण–रूपेण शामिल करें।

3. ISSNIP/NNM के अन्तर्गत प्रतिमाह आयोजित होने वाले बीआरजी एवं सेक्टर प्रशिक्षणों तथा सामुदायिक कार्यक्रमों (अन्नप्राशन, गर्भावस्था परामर्श, सुपोषण दिवस एवं जन–स्वास्थ्य संदेश दिवस) में सभी संविदा कार्मिक आवश्यक रूप से उपस्थित होवें तथा उक्त कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग हेतु निर्धारित क्वालिटी चैकलिस्ट का उपयोग सुनिश्चित करें तथा प्राप्त कमियों के निराकरण हेतु सम्बन्धित उप–निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारियों को सूचित करें तथा एक प्रति issnipraj2@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

4. ICT-RTM के अंतर्गत संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था संबन्धित परियोजना के ब्लॉक समन्वयक (BC) के द्वारा जिला समन्वयक (DC) की निगरानी में की जावेगी। आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निकटतम ब्लॉक समन्वयक (BC) अथवा ब्लॉक परियोजना सहायक (BPA) का भी सहयोग लिया जा सकता है।

5. परियोजना स्तर पर ब्लॉक समन्वयक (BC) महिला पर्यवेक्षकों के साथ प्रतिदिन ICDS CAS के Dash Board का अवलोकन करेंगे एवं संबन्धित सेक्टर के अकियाशील आंगनबाडी केन्द्रों का डाटा LS को देंगे ताकि LS केन्द्रों भ्रमण अथवा सेक्टर बैठक के दौरान आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा ICDS CAS के एप में नियमित रूप से प्रविष्टि की जायें।

6. ब्लॉक परियोजना समन्वयक LS को ब्लॉक स्तर पर बैठक कर AWW App से संबन्धित तकनीकी जानकारी प्रदान करेंगा ताकि LS भ्रमण के दौरान AWW के मोबाईल में एप्लीकेशन संबंधित छोटी–मोटी तकनीकी खामियों को दूर कर सके।